



Monthly Newsletter of KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LIMITED



आरत 2023 INDIA

वसुंघेव कुदुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

Making local bodies environment-friendly

Saving water

Saving energy

Reducing waste & e-waste

Adopting healthy lifestyles

Adoption of natural farming

Promotion of Millets

वथुंधेव कुदुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

Marketing Director's Message

Dear Cooperators',



As we proudly present the 6th issue of KRIBHCO's monthly newsletter, I extend my heartfelt appreciation to the editorial team for their relentless efforts in delivering impactful content to our esteemed readers.

In this edition, we delve into the G20-2023 theme of "One Earth, One Family, One Future." It highlights the significance of global unity and collective action towards a sustainable and prosperous future. Furthermore, we explore the commendable initiative of the Ministry of Cooperation in the development of Primary Agricultural Credit Societies (PACS), paving the way for a stronger cooperative ecosystem.

Our newsletter continues to be a powerful platform for sharing success stories, empowering farmers and rural youth with knowledge, and inspiring the adoption of modern agricultural practices. It is through such initiatives that we nurture growth and progress in the agricultural sector.

Warm regards,

V. S. R. Prasad Marketing Director



Dear Readers.

It is with great pleasure that I present to you the sixth issue of our monthly newsletter, "Krishak Saarathi" With each edition, we strive to bring you insightful and engaging content that sheds light on important topics in the field of agriculture.

As we delve into the month of June, we find ourselves focusing on a significant global event - the G20 Summit. The G20 brings together leaders from the world's largest economies to discuss crucial issues, including sustainable development, economic growth, and agricultural advancements. In alignment with this theme, our June edition is dedicated to highlighting the role of agriculture in shaping the G20 agenda.

Agriculture plays a pivotal role in the global economy, and it is crucial to recognize its potential in addressing challenges such as poverty, food security, and climate change. The articles in this issue will delve into the various aspects of agricultural development, innovation, and sustainability that have been discussed within the G20 framework. We aim to provide you with a

comprehensive understanding of the collective efforts being made to ensure a prosperous and resilient agricultural sector worldwide.

We extend our heartfelt appreciation to all the contributors who have shared their valuable insights and expertise in shaping this edition. Your contributions have enriched the content and made it a compelling read for our readers.

As you delve into the pages of this edition, we hope that you find it both informative and thought-provoking. Our goal is to inspire and empower our readers with the latest developments, best practices, and success stories in the agricultural domain. Thank you for your continued support and enthusiasm. Together, let us strive for a sustainable and prosperous future in agriculture.

Happy reading!

Dr V. K. Tiwari Dy. GM (Mktg)

Editorial Board

Sh. V S R Prasad, Mktg. Director Chairman

Dr. V K Tiwari, DGM (Mktg) Chief Editor

Sh. Sharvan Kumar, CM (Mktg) Member – FAS Sh. Ram Niwas, DM (Hindi)

Member – Hindi

Sh. Devisht Agrawal, DM (MS) Member – IT and Technical

Sh. Nitesh Kumar Mishra, DM (Mktg) Editing, Design and Circulation

Sh. Raj Babu Kumar, AM (Mktg)Member – Agriculture News Updates

Sh. Rishav Arora, AM (MS)


Member – Current Affairs





G-20 and India's Presidency







The G20 comprises of the world's largest economies, but despite this fact food insecurity remains a major hurdle in some G20 countries. The COVID-19 pandemic has compounded this problem in many countries, mainly in those countries with pre-existing food security challenges.

Both COVID-19 and the Ukraine conflict have had significant impacts on food security in G20 nations. The pandemic has hindered the food supply chains, leading to shortages and price increases in some regions. Lockdowns and travel restrictions have also made it difficult for farmers to sell their produce and for consumers to access food. The economic impact of the pandemic, including job losses and reduced incomes, have made it more difficult for many people to afford food, further increasing food insecurity and malnutrition. War and conflict situations have disrupted agricultural production, destroyed infrastructure and markets, and led to displacement and food shortages. Displacement due to war and conflict has also led to loss of employment opportunities and reduced further access to food.

While malnutrition remains a significant challenge in many G20 nations, the specific situation varies across countries. India, Indonesia, and South Africa are among the G20 countries with the highest prevalence of undernutrition, including stunting and wasting in children and micronutrient deficiencies. Despite being a high-income country, Australia also experiences pockets of undernutrition, particularly amongst Indigenous populations.

Overall, addressing both malnutrition and food insecurity in G20 nations will require a multifaceted and coordinated approach, with a focus on improving food access, promoting healthy diets and lifestyles, and addressing poverty and inequality.

There are several challenges to food security that G20 countries face, both in their own countries and globally:

- 1. Climate Change: Climate change is a major challenge to food security, as it can lead to extreme weather events, such as droughts and floods, which can devastate crops and food production.
- **2. Population growth:** The world's population is expected to reach 9.7 billion by 2050, which will put significant pressure on food production and distribution.
- **3. Water Scarcity:** Water scarcity is a significant challenge to food security, particularly in arid and semi-arid regions.
- **4. Conflict and political instability:** Conflict and political instability can disrupt food production and distribution, leading to food shortages and hunger.

- 5. Trade barriers: Trade barriers, such as tariffs and import restrictions, can make it difficult for countries to access food and agricultural products, particularly in developing countries.
- As India holds the G20 presidency, it has a significant responsibility to address the issue of food insecurity.
- 1. Promote sustainable agriculture, including reducing food waste, promoting efficient use of resources, and supporting smallholder farmers. This can help increase food production and reduce the impact of climate change on agriculture.
- Encourage investment in rural development including infrastructure, education, and healthcare. This can help support rural communities and improve access to food and nutrition.
- 3. Address all forms of malnutrition by promoting healthy diets, nutrition education, and developing targeted interventions for at-risk populations.
- 4. Address food price volatility for improved food security and economic stability by promoting transparency and information sharing in global food markets and developing policies to mitigate the effects of price volatility.
- 5. Promote international cooperation on food security, including working with other G20 countries and international organisations to develop joint strategies and initiatives to address food insecurity.



Overall, food insecurity remains a significant challenge in many G20 nations, and concerted efforts are needed to address the issue through a range of interventions, including improving access to healthy and nutritious foods, promoting healthy lifestyles, and investing in social protection programmes.

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केन्द्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक (CRCS) के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सहकार से समृद्धि' के विज़न को साकार करने की दिशा में जुलाई 2021 में गठित सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता क्षेत्र में ईज़ ऑफ इूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

इन कदमों के अंतर्गत, बहुराज्यीय सहकारी समितियों (MSCS) की सभी गतिविधियों, जिनमें नई समितियों का पंजीकरण भी शामिल है, को सुगम बनाने के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक (CRCS) कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।



कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर और पोर्टल डेवलप किया जा रहा है जिन्हें 26 जून, 2023 तक लाँच करने का लक्ष्य रखा गया है। कम्प्यूटरीकरण होने से नए (MSCS) के पंजीकरण और मौजूदा MSCS के काम करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने में काफी मदद मिलेगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि (CRCS) कार्यालय द्वारा प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को भी इस पोर्टल के बेहतर उपयोग और विश्लेषण में शामिल किया जाए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक (CRCS) के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति की समीक्षा की। सहकारिता मंत्रालय के सचिव, अवर सचिव और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के विज़न को साकार करने की दिशा में जुलाई 2021 में गठित सहकारिता मंत्रालय ने अब तक सहकारिता क्षेत्र में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों के अंतर्गत बहुराज्यीय सहकारी समितियों (MSCS) की सभी गतिविधियों, जिनमें नई समितियों का पंजीकरण भी शामिल है, को सुगम बनाने के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक (CRCS) के कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक का कार्यालय बहुराज्यीय सहकारी समितियों के पंजीयक का कार्यालय बहुराज्यीय सहकारी समितियों (MSCS) अधिनियम, 2002 को लागू करने की प्रक्रिया भी देखता है। कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर और पोर्टल डेवलप किया जा रहा है जिन्हें 26 जून, 2023 तक लाँच करने का लक्ष्य रखा गया है।

समीक्षा बैठक के दौरान, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने निर्देश दिए कि है (CRCS) कार्यालय द्वारा प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को भी इस पोर्टल के बेहतर उपयोग और विश्लेषण में शामिल किया जाए। कम्प्यूटरीकरण होने से नए MSCS के पंजीकरण और मौजूदा MSCS के काम करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने में काफी मदद मिलेगी।

कम्प्यूटरीकरण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. पूर्णतया पेपरलैस आवेदन और उसकी प्रोसेसिंग

- ii. सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम (MSCS Act) और नियमों का स्वत: अनुपालन
- iii. व्यापार की सुगमता को बढ़ाना
- iv. डिजिटल कम्युनिकेशन
- v. प्रोसेसिंग में पारदर्शिता,
- vi. बेहतर एनालिटिक्स और MIS

कम्प्यूटरीकरण का काम शुरू हो चुका है और सॉफ़्टवेयर का वर्जन-। मौजूदा MSCS अधिनियम और नियमों पर आधारित है। परियोजना के वर्जन-॥ में MSCS अधिनियम और नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को शामिल किया जाएगा और यूज़र फीडबैक के आधार पर कमियों को दूर करके प्रारंभिक संस्करण को सुधारा जाएगा।

नए पोर्टल में शामिल मॉड्यूल इस प्रकार हैं-

- i. पंजीकरण
- ii. बायलॉज़ में संशोधन
- iii. वार्षिक रिटर्न दाखिल करना
- iv. अपील
- v. ऑडिट
- vi. निरीक्षण
- vii. जांच
- viii. मध्यस्थता (Arbitration)
- ix. वाइंडिंग-अप और लिक्किडेशन

डेवलप किया जा रहे सॉफ्टवेयर से CRCS कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लो के माध्यम से समयबद्ध तरीके से आवेदन / सेवा के अनुरोधों की प्रोसेसिंग में सहायता मिलेगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से, OTP आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, MSCS अधिनियम और नियमों के पालन के लिए सत्यापन जांच, वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और अन्य संचार के प्रावधान होंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमित देने का फ़ैसला किया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमित देने का फ़ैसला किया है। नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख एस मांडिवया के साथ हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। देशभर में 2000 (PACS) की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषि केंद्र के रूप में खोलने के लिए पहचान की जाएगी, इनमें से 1000 जन औषि केंद्र इस साल अगस्त तक और 1000 दिसंबर तक खोले जाएँगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय से (PACS) की आय बढ़ने और रोज़गार के अवसर पैदा होने के साथ ही लोगों, ख़ासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सस्ती क़ीमत पर दवाइयाँ भी उपलब्ध होंगी। बैठक में सहकारिता मंत्रालय के सचिव, रसायन एवं उर्वरक विभाग के सचिव और सहकारिता मंत्रालय व रसायन एवं उर्वरक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।



देशभर में अभी तक 9400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इनमें 1800 प्रकार की दवाइयां एवं 285 अन्य मेडिकल डिवाइस उपलब्ध हैं। ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50% से 90% तक कम कीमत पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता मानदंडके तहत व्यक्तिगत आवेदकों को डी. फार्मा / बी. फार्मा होना चाहिए। इसके लिए कोई भी संगठन, एन.जी.ओ., धर्मार्थ संगठन एवं हॉस्पिटल आवेदन के लिए बी.फार्मा / डी.फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त कर सकता है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषिध केंद्र के लिए स्वयं या किराए का कम से कम 120 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। जन औषिध केंद्र के लिए आवेदन शुल्क 5000 रुपये है। महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व

सैनिक विशेष श्रेणी में आते हैं। आकांक्षी जिले,हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्य और द्वीप समूह विशेष क्षेत्र में हैं। विशेष श्रेणी एवं विशेष क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन शुल्क में छूट है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपये (मासिक खरीद का 15% या अधिकतम रुपये 15,000 प्रति माह) है। विशेष श्रेणियों एवं क्षेत्रों में आईटी और इन्फ्रा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपये की एक मुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।



कृभको द्वारा प्रकशित कृषक सारथी आप सभी किसान दोस्तों के लिए कृषि से जुडी हुई मुख्य जानकारी के लिये उपलब्ध कराई जा रही है, हम आपको इस अंक मे जुलाई महीने में किये जाने वाले कृषि कार्यों के बारे में बता रहे हैं। जुलाई माह ख़रीफ की फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक है।

जुलाई माह जिसे आषाढ़-श्रावण भी कहते है, तपती हुई धरती को ठंडा करने के लिए मानसून वर्षा लेकर आता है व मौसम सुहावना बन जाता है।

धान

धान की रोपाई तो शुरू है। कम अवधि वाली बौनी किस्मों के लिए 60 दिन की पौध को जुलाई अन्त तक लगा सकते है परन्तु मध्यम अवधि वाली बौनी किस्मों को 7 जुलाई तक लगा लें। पौध को उखाडने से पहले क्यारी में पानी दें व बहुत सावधानी से पोध उखाड़े ताकि कीचड़ हट जाये और जड़ों को नुकसान न हो। बासमती धान की रोपाई 1-17 जुलाई तक कर लें क्योंकि देर होने पर वटरा रोग लग जाता है। खाद की मात्रा मिट्टी जाँच के आधार पर दें। वौनी व मध्यम अविधि वाली किस्मों के लिए प्रति एकड 6 टन गोबर की खाद, 10 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट, 2.5 बोरा यूरिया, 3 बोरे सिंगल सुपर फास्फेट तथा 1 बोरा मयूरेट आफ पोटाश डालें तथा कम अवधि वाली किस्मों में यूरिया की मात्रा कम करके 2 बोरे ही रखें । जिंक, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा तथा 1/3 नाईट्रोजन लेव बनाते समय दें। यदि नाईट्रोजन लेव के साथ न दें सके तो एक सप्ताह तक भी दे सकते है। बौनी तथा अधिक पैदावार वाली या देर से लगाई फसलों के लिए 2-3 पौधे को एक जगह पर 6x8 इंच की दूरी पर लगायें। पौध 1 इंच से गहरी न लगाये, इससे जड़ जल्दी पकडती है तथा कल्ले और फूल समय पर आते हैं। यदि सूत्र कृमि की समस्या हो तो कार्बोपयुरोन (पयुराडान 3-जी) का प्रयोग करें। लेव बनाने से खरपतवार नियंत्रण हो जाता है यदि फिर भी ये हो तो 15-17 दिन बाद पैडीवीडर का प्रयोग करें। रसायनों दवारा भी इनका नियंत्रण कर सकते है जैसे कि व्यूटाक्लोर, थायोबैनकार्व, पैडोमेथालिन, एनिलोफोस, प्रेटिलाक्लोर तथा पलुक्लोरानिन। दानेदार दवाई को पौध रोपण के 2-3 दिन बाद तक 2 इंच गहरे खड़े पानी में एकसार विखेर दें तथा तरल दवाई को 60 कि.ग्रा. रेत में मिलाकर प्रति एकड छिडकें। रोपाई के बाद प्रति सप्ताह पानी का निकास करके ताजा पानी भरें तथा एक बार में 2 इंच से अधिक गहरा न हो। सिमित सिंचाई की अवस्था में धान के खेत

को बार-बार पानी देकर गीला रखें। रोपाई के 10 दिन बाद जब पौधे ठीक से जड़ पकड लें तो पानी रोकलें इससे जड़े अच्छी विकसित हो जाती है। कल्ले निकलने के समय भी पानी रोके ताकि वेकार कल्ले ज्यादा न आये। यदि भूमि ऊसर है तो मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 1-2 भारी संचाई करे तथा



पानी को दूसरे खेत में न जाने दें। पोध भी 30-40 दिन की हो तथा 3-4 पौधे इकट्ठे लगायें तथा समय से एक सप्ताह पहले लगायें इससे ऊसर भूमि में पौधे की मात्रा तथा कल्ले ठीक बने रहेगें। ऊसर भूमि में जिंक सल्फेट 20 कि.ग्रा. तथा नाईट्रोजन 3 बोरे प्रति एकड दें इससे शुरू की बढ़वार तथा बाद की पैदावार अच्छी रहेगी। धान की जड़ की सुण्डी जमीन में जड़ों को जुलाई से अगस्त तक खाती है इससे पोधे पीले, कम फुटाव तथा छोटे रह जाते है। इसकी रोकथाम के लिए 10 कि.ग्रा. कार्बोपयूरान (पयूराडान-3 जी) या 4 कि.ग्रा. (थाइमेट-10 जी) प्रति एकड डालें। इस दवाई को यूरिया के साथ भी विखेर सकते है। पत्ता लपेट सूण्डी, हरे रंग की होती है तथा पत्ते को अपने ऊपर लपेट कर जुलाई से अक्टूबर तक खाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रति एकड 10 कि.ग्रा. मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत घूडा या 200 मि.ली. मोनोक्रोटोफास ३६ एस एल या 350 मि.ली.एण्डोसल्फान 35 ईसी को 200 लीटर पानी में मिलाकर फसला पर छिडके। इस दवाई को छिडकने से पत्ती और पौधों का तेला तथा गंधी या मंलगा की भी रोकथाम हो जाती है। तना छेदक भी इस माह आक्रमण करता है तथा इससे वालियां सूख जाती है और दाने नहीं बनते । इसे भी मिथाइल पैराथियान 50 ई.सी 500 मि.ली. / मोनेक्रोटोफास 36 एस एल 250 मि.ली./ क्लोरपाईफास 20 ईसी 1 लीटर रोपाई के 70 और 2 बार छिडके।



गन्ना फसल में शेष बची एक बोरी यूरिया जुलाई में मानसून वर्षा आने पर डालें तथा 27 दिन के अन्तर पर सिंचाई करें। जुलाई माह में चोटी बेधक के आक्रमण से गोभ के पत्तों में सुराख और बीच में धारिया बन जाती है तथा पौधे के ऊपर गुच्छा सा

बन जाता है। कीट के अण्डों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। पिछले माह बताई विधि से रसायन प्रयोग करें। गुरदासपुर बंधक जुलाई से सितम्बर तक हानि पहुंचाता है जिससे पौधे का ऊपरी भाग सूख जाता है और कीडा लगने वाली जगह से मामूली झटका देने से टूट जाता है। ऐसे गन्ने को हर सप्ताह काटकर नष्ट कर दें। खेत में जुताई करे ढूंठ नष्ट कर दें।

कपास

कपास की फसल में यूरिया की आधी मात्रा (अमेरिकन में 2/3 बोरी, संकर कपास में 1 बोरी तथा देशी कप-ास 1/2 बोरी) वोकी आने पर जुलाई अन्त तक डाल दें। कपास में बीजाई के 40-45 दिनों के बाद सूखी गोडाई



के पश्चात ट्रैफलान 0.8 लीटर / एकड या स्टोम्प 1.25 लीटर / एकड के 200-250 लीटर पानी में घोल से उपचार के बाद सिंचाई करने से भी वार्षिक खरपतवारों का उचित नियंत्रण हो जाता है। जुलाई में सिंचाई वर्षा के हिसाब से 2-3 सप्ताह के अन्तर पर करें। फूल आने पर सिंचाई अवश्य करें नहीं तो फूलझड़ जायेगें तथा कम टिंडे बनेंगे और पैदावार में कमी हो जायेगी।

कपास में निराई-गोडाई करते समय खडी फसल की कतारों में डोलियां बना दें जिसमें 27 प्रतिशत पानी की बचत होती है, पोषक तत्वों का उपयोग भी वेहतर होता है तथा पैदावार भी अच्छी होती है। अधिक वर्षा होने से बेकार पानी का निकास भी हो जाता है तथा कपास सेम से भी बच जाती है। जुलाई माह में हरा तेला, रोयदार सुण्डी, कतरा, चितीदार सुण्डी, कुबडा कोडा आदि पत्तों में से रस चूसकर पौधे की बढ़वार तथा उपज दोनों को कम करती है। इन कीडों की संख्या जब आर्थिक कगार पर पहंच जाये जैसे एक पत्ते पर दो शिशु हरे तेले तथा 20 प्रतिशत पत्तियां किनारों से मुडने लगे या पीली पड़ने लगे। कातरा व अन्य पत्ते खाने वाले कीडे एक पौधे पर एक तथा चित्तिदार सुण्डी 1 प्रतिशत टहनियों को प्रभावित करें तो इसके नियंत्रण के लिए 600 मि.ली. एण्डोसल्फान 35 ईसी या 600 ग्रा. काबॅरिल 10 डब्ल्यु.पी या 600 मि.ली. फेनोट्रोथियान 50 ई.सी. या 650 मि.ली. किवळनलफास 25 ई.सी., 150-200 लीटर पानी में प्रति एकड छिडकें। चित्तीदार सुण्डी, कतरा व अन्य कीडों के अण्डों वस्ण्डियों से प्रभावित पत्तों व टहनियों को कीडो सहित तोडकर गहरा दबा दें या जला दें। खेत में हर सप्ताह पोधों के कीडों का निरीक्षण करें तथा आर्थिक कगार पहचते ही रोकथाम शुरू करें। कपास में पोध रोग, छेदक घब्बा रोग, जीवाणु अंगमारी, एन्सोंकनोज, जडुयालन, उखेडा, ग्रेमिल्डय्, टिण्डा गलन तथा पत्ती मरोड प्रमुख विमारियां लगती है। विमारियों की रोकथाम के लिए बीजाई के 6 सप्ताह बाद जु-लाई शुरू में प्लेण्टोमाइसिन (30-40 ग्रा. / एकड) या स्ट्रैप्टोसाइकिलन (६-८ ग्रा./एकड) व कापर आक्सीक्लोराईड (६००-७०० ग्रा./ एकड) का 150-200 लीटर पानी में घोलकर 15-20 दिन के अन्तर पर लगभग 4छिडकाव करें। देशी कपास में ग्रैमिल्डय रोग के लिए 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में वाविस्टन का छिडकाव करें। जडगलन रोग वाली जमीन में कम से कम ३ वर्ष तक कपास न लगायें।

मक्का

मका सिंचित क्षेत्रों में 20 जुलाई तक तथा वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में मानसून आने पर बोया जा सकता है। एक एकड के लिए 8.7 कि.ग्रा. बीज 27 फुट दूर लाईनों में तथा 8 इंच दूरी पौधे में रखें। बीज प्रमाणित किस्मों

जैसे कि गंगा-संकर, बिजय, अगेती-76, एच.एच.एम-1 व एच.एच.एम-2 को ही लगाये बाकीं क्रियायें मई व जून की खाद पत्रिका में बताई जा चुकी हैं। वर्षा न होने की स्थिति में पानी देना आवश्यक है खासकर फूल तथा दाने बनने की अवस्था में। जहां मक्का मई माह में बोया गया है वहां वर्षा का पानी निकास के लिए नालियां भूमि की ढलान के हिसाब से ही बनाये। मक्का में तना छेदक की सुण्डियां तनों मे छेद करके पैदावार कम कर देते है। रोकथाम के लिए पहला छिडकाव उगने के 10 दिन बाद 200 ग्राम कार्वे रिल 70 डब्ल्यु पी या 270 मि.ली. एण्डोसल्फान 37 ईसी को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड छिडकाव करें। दूसरा छिडकाव 20 दिन, फिर ३0 दिन तथा चौथा 40 दिन उगने के बाद करें। हर बार दवाई की मात्रा 20-30 प्रतिशत बढ़ा दें।

बाजरा

बाजरे की बिजाई मध्य जुलाई या मानसून की पहली वर्षा पर कर सकते है। हरियाणा के लिए एच.एच.वी-70, 60, 67, 68, 94, एच-सी-4, 10 व डब्ल्यु. सी.सी-77 संकर किस्में हैं। पंजाब के लिए पी.एच.वी-47 व 1411



संकर किस्में है। 1.7 से 2 कि.ग्रा. बीज को 1.5 फुट दूर लाईनों में पर्याप्त नमी वाली मिट्टी में 1/2 इंच गहरा बोये। बीजाई के लिए रिजर-सीड ड्रिल उपयुक्त पाई गई। दोहरी पंक्तियों के लिए लाईनों में 1 फुट तथा मेढ़ में 2 फुट का अन्तर रखें। बीजाई के इसप्ताह बाद पोधे के बीच ७ इंच का फासला बळनाये। बाजरे की नर्सरी भी तैयार कर सकते है। एक एकड में पोध लेळेने के लिए 25x10 मीटर क्षेत्र में 600 ग्राम से 1 कि.ग्रा. बीज बोयें। चीटियों को रोकने के लिए नर्सरी की चारों ओर मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत के घूड़ा की 4 इंच चौडी पट्टी बनाएं। कोडिया रोग के लिए 0.2 प्रतिशत ब्लाईटाक्स या मैन्कोजव का छिडकाव करें तथा समय-समय पर पानी लगायें। तीन सप्ताह की पोध की रोपाई करें तथा जड़ो को हानि न पहुंचाएं। संकर बाजरा के लिए वारानी क्षेत्रों में 1/2 बोरा यूरिया तथा 1 बोरा संगल सुपरफास्फेट तथा 10 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट प्रति एकड बीजाई के समय दें। बीजाई के ३ सप्ताह बाद निराई-गुडाई करके खरपतवार निकाल दें तथा जल निकास प्रबंध ठीक रखें। फिर 1/2 बोरा यूरिया पोध छंटाई के समय दें। बीमारियों की रोकथाम के लिए बीजोपचार करें तथा रोगग्रसत पोधों को उखाडकर नष्ट कर दें।

दालों की खेती

मूंग, उडद, लोबिया, अरहर, सोयाबीन – जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून की वर्षा के साथ ही मूंग, उडद तथा लोबिया फसलों की बीजाई कर देनी चाहिए। अच्छे जल निकास वाली



दोमट या हल्की दोमट मिट्टी में दो जुताईयों के बाद सुहागा लगाकर तथा घासफूस निकाल दें। मूंग व उडद के लिए 6-8 कि.ग्रा. तथा लोबिया के लिए 12 कि.ग्रा. बीज प्रति एकड लगायें। बीजाई से पहले बीज को कप्तान या थिराम ३ ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज के हिसाब से उपचारित करें फिर राइजीवियम की टीका लगायें। अधिक पौधे उगने पर विरला करें तथा 4 इंच का अन्तर रखें। मूंग उडद तथा लोबिया के अलग-अलग राइजोवियम कल्चर से उपचारित बीज को छाया में सुखाकर 1 से 1.7 फुट दूरी पर लाईनों में बोये । मूंग के लिए आशा और के-871, उडद के लिए टी-9 तथा लोबिया की एफ एस 68 किस्में हरियाणा के लिए उपयुक्त है। पंजाब में मूण की पी.वी.एम-1, एम.एल-613, एम.एल-267 तथा उडद के लिए मास 338 व मास 1-1 किस्में हैं। बीजाई के समय 10 कि.ग्रा.यूरिया तथा दो बोरे सिंगल सुपर फासफेट प्रति एकड डालें। मक्का-गेहं-मूंग फसल चक्र में मूंग में खाद डालने की जरूरत नहीं है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए बीजाई के ३ सप्ताह बाद निराई गुडाई करें। अरहर की यू.पी.ए.एस-120, मानक तथा पारस किस्में जुलाई में भी बोई जा सकती है। बाकी क्रियायें मई व जून माह में बताई जा चुकी है। सोयाबीन में निराई-गुडाई करके घासफूस निकाल दें। यदि वर्षा न हो तो हल्की सिंचाई करते रहें। दलहनी फसलों में कीडों के लिए 400 मी.ली. मैलाथियान 70 ईसी 270 लीटर पानी में घोलकर छिड़कें। इससे पीला मोजैक भी नियंत्रित हो जाता है । बीमारियों में, पत्तों के धब्बों का रोग के लिए ब्लाइटाक्स 70 या इण्डोफिल एम-47 की 600-800 ग्रा. तथा पत्तों का जिवाण रोग के लिए 600-800 ग्रा. कापर आक्साक्लोराइड 200 लीटर पानी में मिलाकर छिडके।





Union Cabinet approves Minimum Support Prices (MSP) for Kharif Crops for Marketing Season 2023-24

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved the increase in the Minimum Support Prices (MSP) for all mandated Kharif Crops for Marketing Season 2023-24.

Government has increased the MSP of Kharif Crops for Marketing Season 2023-24, to ensure remunerative prices to the growers for their produce and to encourage crop diversification, as provided in the given table:

Minimum Support Prices for Major Crop for Kharif Marketing Season 2023-24

Crop	MSP 2022-23	MSP 2023-24
Paddy Common/Grade A	2040/2060	2183/2203
Jowar Hybrid/Maldandi	2970/2990	3180/3225
Bajra	2350	2500
Ragi	3578	3846
Maize	1962	2090

Source: PIB

Indian Council of Agricultural Research signs a MOU with Amazon Kisan to Empower Farmers

The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has signed an MoU with Amazon Kisan to guide farmers in



scientific cultivation for better yields and income. ICAR will provide support through technological Amazon's network to improve farmers' livelihoods and crop productivity. The partnership aims to ensure access to high-quality fresh produce for consumers through

Amazon Fresh. ICAR and Amazon will collaborate on farmer engagement programs, technology transfer, and capacity building. Amazon will also assist farmers in marketing their produce and provide training support.

Source: PIB

Centre imposes stock limits on wheat applicable to Wholesalers/ Traders, Retailers, **Big Chain Retailers** and Processors.



The Government of India has imposed stock limits on wheat for traders, wholesalers, retailers, big chain retailers, and processors across all states and union territories. The measure aims to manage food security, prevent hoarding, and speculation. The order will be effective from June 12, 2023, until March 31, 2024. Each type of entity will have specific stock limits imposed on them. For traders/wholesalers, the limit is 3000 MT. Retailers are limited to 10 MT for each retail outlet, while big chain retailers are allowed 10 MT per outlet and 3000 MT at all their depots. Processors are limited to 75% of their annual installed capacity. These entities must declare their stock positions and regularly update them on the Department of Food and Public Distribution's portal (https:// evegoils.nic.in/wsp/login). If their stocks exceed the prescribed limit, they must bring them within the limit within 30 days of receiving the notification.

Source: PIB

In the direction of realizing the Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of "Sahkar Se Samridhi", the Government of India has taken five more important decisions:

In pursuit of Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of "Sahkar Se Samridhi" (Prosperity through Cooperation), the Government five

India has made significant decisions. These decisions were made during a meeting between Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah, and Minister of Chemicals and Fertilizers, Shri Mansukh S. Mandaviya in New Delhi. Officials from the Ministry of Cooperation and Department of Fertilizers were also present.



The following five decisions were taken during the meeting:

- 1. Identification of Primary Agricultural Credit Cooperative Societies (PACS): Non-functioning PACS that are not currently serving as fertilizer retailers will be identified through mapping. These PACS will be encouraged to become retailers gradually, based on feasibility.
- 2. Expansion of Pradhan Mantri Kisan Samrddhi Kendras (PMKSK): PACS that are not currently functioning as PMKSKs will be included under the PMKSK program.
- 3. Involvement of PACS in Organic Fertilizer Marketing: PACS will be connected with the marketing of organic fertilizers, particularly Fermented Organic Manure (FoM), Liquid Fermented Organic Manure (LFOM), and Phosphate Enriched Organic Manure (PROM).
- 4. Market Development Assistance (MDA) Scheme: Fertilizer companies will serve as aggregators for small bio-organic producers to market their end products. PACS will be included as wholesalers/ retailers in the supply and marketing chain of bio-organic fertilizers.
- 5. Utilization of PACS for Drones: PACS can also be utilized as drone entrepreneurs for the spraying of fertilizers and pesticides. Drones can also be employed for property surveys.

These significant decisions will increase the income of Primary Agricultural Credit Societies, generate employment opportunities in rural areas, and enable farmers to access fertilizers, pesticides, seeds, and agricultural machinery at the local level.

Source: PIB











Foundation Stone
laying ceremony
of the
Bio Ethanol Project
at SPSR
Nellore District.

Inauguration
of Camp
Office of
Bharatiya
Beej Sahakari
Samiti Ltd.
at KRIBHCO
Bhawan,
Noida.













कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LIMITED

कृभको भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा - 201301, जिला गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.) KRIBHCO Bhawan, A-10, Sector-1, NOIDA - 201301, District Gautam Budh Nagar (U.P.)